

असाधारमा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई विल्ली, बुधवार, जून 15, 1994/ज्येष्ठ 25, 1916

No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 1994/JYAISTHA 25, 1916

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली; 15 जून; 1994

सा. का. नि. 509(श्र): नेल दावा ग्रिधकरण ग्रिधिनियम, 1987 (1987 का 54), की धारा 30 की उपवारा (2) के (1), (1), (1) और (1) खंडों में प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एनद्द्वारा रेल दावा ग्रिधकरण (प्रिक्रिया) नियम, 1989 को ग्रागे संगोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात्ः —

1. (क) इन नियमों को रेल दावा श्रधिकरण (प्रिक्षिया) संगोधन नियम, 1994 के नाम से जाना जाएगा।

- (ख) ये नियम सरकारी राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें।
- 2. रेल दावा श्रधिकरण (प्रक्रिया) नियम, के नियम 4 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएं श्रर्थात् :----
- "4. दावा ग्रधिकरण की भाषा :----(1) संबंधित पार्टियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि दावा ग्रधिकारियों के समक्ष वे श्रपने-श्रपने मामलो की पैरवी हिंदी प्रथवा अंग्रेजी में करें।
- (2) बाबा ग्रधिकरण के विकल्प पर ग्रधिकरण के सभी आदेण और निर्णय हिंदी ग्रथना अंग्रेजी में होंगें।

[सं. 93/टी सी (ध्रार सी टी) 1---5] बलदेव सिंह, कार्यपालक निदेशक (जन. शि.)

टिप्पणी:---19 सितम्बर, 1989 के सा. का. नि. 842(श्र) द्वारा भारत के राजपत्र में मूल नियम प्रकाणित किए गए थे और तत्पश्चात् 26 नवंबर, 1991के सा. का. नि. 700(श्र) और 21 अप्रैल, 1992 के सा. का. नि. 438 (अ) डारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, 15th June, 1994

- G.S.R. 509(E):—In exercise of the powers conferred by clauses(c), (c), (f) and (g) of subsection (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:—
- 1. (a) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1994.
 - (b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. For rule 4 of the Raifway Claims Tribunal (Procedure) Rules 1989, the following rule shall be substituted, namely:-
- "4. Language of the claims Tribunal: (1) The pleadings before the Claims Tribunal may, at the option of the respective parties, be either in English or in Hindi.

(2) All orders and judgements of the Claims Tribunal may, at the option of the Claims Tribunal, be either in Hindi or in English".

> [No. 93/TC(RCT)/1-5] BALDEV SINGH, Executive Director (PG)

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 842(E) dated 19th September, 1989 and subsequently amended by G.S.R. 700 (E) dated 26th November, 1991 and G.S.R. 438(E) dated 21st April 1992.